

No.F. 1/PGMS/2017-18 / *ds VI / 149*
Government of National Capital Territory of Delhi
Finance (Exp-VI) Department
Level-4, wing-A, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.

Dated: *16/3/18*

To,

The Deputy Secretary (L.A),
Delhi Vidhan Sabha Sachivalaya,
Old Secretariat,
Delhi.

Sub: Delhi Vidhan Sabha Starred/Unstarred Question No. 113 fixed for
answer on 20.03.2018

Sir,

Please find enclosed 100 copies of the reply to the above question for necessary
action.

Encl: As above.

Yours faithfully,



(A.K.SINGH)
DEPUTY SECRETARY -VI (FINANCE)

No.F. 1/PGMS/2017-18

Dated:

Copy forwarded to:

1. Directorate of Information & Publicity, Old Secretariat, Delhi with 150
copies of the reply.
2. Secretary to Finance Minister, Govt. of Delhi (two copies), Old Secretariat,
Delhi.


(A.K SINGH)
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)

अतारांकित प्रश्न संख्या :-113
दिनांक:-20.03.2018

अता. 113 चौ. फतेह सिंह वित्त विभाग
क्या उप-मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस)के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक वित्त विभाग से संबंधित 162 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 14 शिकायतें अभी भी लंबित हैं.	हाँ यह सत्य है कि पी.जी.एम.एस के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक 162 शिकायतें वित्त विभाग को भेजी गयी थी परंतु आज की तिथि में 4 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से बहुत सारी शिकायतें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के दूसरे विभागों से संबंधित है।
ख	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 10 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं.	जी हाँ।
ग	यदि हां तो इसका कारण क्या है.	इनमें से 9 शिकायतें दिल्ली सरकार की पी.जी.एम.एस. की श्रेणी में नहीं आती है तथा एक शिकायत में शिकायतकर्ता ने तथ्यों की विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।
घ	क्या यह भी सत्य है कि 75 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है,	ज्यादातर मामले,भारत सरकार के वित्त विभाग से संबंधित है या इस विभाग से संबंधित नहीं है या सुझाव मात्र है या पी. जी.एम.एस. की श्रेणी में नहीं है।
ङ	यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है,	इसका संदर्भ भी उत्तर 'घ' में ही निहित है।
च	क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए,	जी हाँ।
छ	इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं,	शिकायतों का समयबद्ध निवारण एक सतत प्रक्रिया है।
ज	निवारण के लिए ये शिकायतें किन-किन अधिकारियों के पास और कब-कब भेजी गईं, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें,	वित्त विभाग की शिकायतें वित्त विभाग के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है तथा दूसरे विभाग से संबंधित शिकायतों को संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका संपूर्ण विवरण पी.जी.एम.एस पोर्टल पर उपलब्ध रहता है।
झ	संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें, और	संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी पी.जी.एम.एस पोर्टल पर संबंधित शिकायत की आई.डी. में दर्ज होती है।
ट	इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?	लंबित शिकायतों का भी शीघ्र ही निवारण हो जाएगा।

हस्ताक्षर


(उमेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव (वित्त विभाग)